संख्या-578/2026/1756/22-2-2022-17(945)/2021

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 21 मई, 2026

विषय:- जिला कारागार, गोण्डा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शिव शंकर पुत्र श्री स्वामीनाथ, निवासी जनपद-गोण्डा की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-21667/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-07.06.2022), दिनांक 04.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गोण्डा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शिव शंकर पुत्र श्री स्वामीनाथ, जो ग्राम-शंकर मलारी, थाना-कोतवाली देहात, जनपद-गोण्डा का निवासी है। ग्राम प्रधानी की चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 28.12.2007 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टों से गोली मारकर देवानन्द नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-148/2008 भा0द0वि0 की धारा-307/149, 302/149, 506, 148 व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, गोण्डा के आदेश दिनांक 07.09.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है। बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2021 तक 14 वर्ष की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 05 माह, 15 दिन की सपरिहार सजा पूरी कर ली है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी द्वारा भविष्य में किये जाने वाले अपराधों को रोकने के लिए जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा बन्दी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि ग्राम प्रधानी की चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 28.12.2007 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टों से गोली मारकर देवानन्द नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शिवशंकर पुत्र श्री स्वामीनाथ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गोण्डा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिव शंकर (बन्दी संख्या-811/10) पुत्र श्री स्वामीनाथ, निवासी जनपद-गोण्डा की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-578/2026/1756(1)/22-2-2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा।
2- पुलिस अधीक्षक, गोण्डा।
3- अधीक्षक, जिला कारागार, गोण्डा।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-578/2026/1756/22-2-2022-17(945)/2021

दिनांकः 21 मई, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, गोण्डा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शिव शंकर पुत्र श्री स्वामीनाथ, जो ग्राम-शंकर मलारी, थाना-कोतवाली देहात, जनपद-गोण्डा का निवासी है। ग्राम प्रधानी की चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 28.12.2007 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टों से गोली मारकर देवानन्द नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-148/2008 भा0द0वि0 की धारा-307/149, 302/149, 506, 148 व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, गोण्डा के आदेश दिनांक 07.09.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है। बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2021 तक 14 वर्ष की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 05 माह, 15 दिन की सपरिहार सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी द्वारा भविष्य में किये जाने वाले अपराधों को रोकने के लिए जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा बन्दी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि ग्राम प्रधानी की चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 28.12.2007 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टों से गोली मारकर देवानन्द नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शिवशंकर पुत्र श्री स्वामीनाथ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।